के अधीन ऐसी किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी हो जाएगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति तब दायी होता यदि ऐसी उन्मुक्ति प्रदान न की गई होती ।"।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 278कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 278कख का अंतःस्थापन ।

"278कख. (1) कोई व्यक्ति अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो गया है । अभियोजन से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् अभियोजन कार्यवाहियों के संस्थापन के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है :

परंतु जहां धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा । 1860 का 45

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आय-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया जा सकेगा, जिसके बारे में वह कार्यवाहियों के संबंध में दोषी रहा प्रतीत होता हो ।"।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 282 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 282क का अंतःस्थापन ।

"282क. (1) जहां इस अधिनियम में यह अपेक्षित है कि किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना या अन्य दस्तावेज जारी किए जाने चाहिएं, वहां ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज पर उस प्राधिकारी द्वारा हस्तलेख में हस्ताक्षर किया जाएगा । सूचनाओं और अन्य दस्तावेजों का अधिप्रमाणीकरण।

(2) किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की जाने, तामील की जाने या दी जाने वाली प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज, यदि अभिहित आय-कर प्राधिकारी का नाम और पद उस दस्तावेज पर मुद्रित, स्टांपित अथवा अन्यथा लिखित है, तो अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिहित आय-कर प्राधिकारी से उपधारा (2) में यथा उपबंधित रीति से अधिप्रमाणन के पश्चात् ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज जारी करने, तामील करने या देने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई आय-कर प्राधिकारी अभिप्रेत है ।"।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 292ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 292खख का अंतःस्थापन ।

"292खख. जहां कोई निर्धारिती किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही में या जांच में उपसंजात हो गया है या सहयोग कर रहा है वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना, जिसकी उस पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समय के भीतर उस पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है और ऐसा निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में ऐसी कोई आपत्ति करने से प्रवारित होगा कि सूचना,— सूचना का कतिपय मामलों में विधिमान्य समझा जाना ।

(क) उस पर तामील नहीं की गई थी ; या

(ख) उस पर समय के भीतर तामील नहीं की गई थी ; या

(ग) उस पर अनुचित तरीके से तामील की गई थी ।"।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 292ग को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और,— धारा 292ग का संशोधन।

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में, "धारा 132 के अधीन किसी तलाशी" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1975 से अंतःस्थापित की समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां धारा 132क के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षा करने वाले

अधिकारी को परिदत्त कर दी गई हैं वहां उपधारा (1) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां, जिन्हें धारा 132क की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से अभिरक्षा में लिया गया था, धारा 132 के अधीन किसी तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई थी ।"।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 295 का संशोधन।

"(चक) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 195 की उपधारा (6) के अधीन किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी दी जा सकेगी ;"।

55. आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 3 के उपनियम (1) के पहले परंतुक में, "31 मार्च, 2008" शब्द और अंकों के स्थान पर, "31 मार्च, 2009" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन ।

धन-कर

56. धन-कर अधिनियम की धारा 17 में,—

धारा 17 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि निर्धारण अधिकारी, उस शुद्ध धन से जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है, भिन्न, ऐसे शुद्ध धन का, जो कर से प्रभार्य है और निर्धारण से छूट गई है, निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा ।";

(ख) उपधारा (1ख) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त के लिए सूचना जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा, अभिलिखित किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने के पश्चात्, स्वयं ऐसी सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है ।"।

57. धन-कर अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (4) के पश्चात् स्पष्टीकरण 1 के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 17क का संशोधन।

"परंतु यह और कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का धारा 22जक के अधीन उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को इस धारा में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि, धारा 22जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, एक वर्ष से कम की नहीं होगी ; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम की है वहां उसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया समझा जाएगा।"।

58. धन-कर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1989 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 18 का संशोधन।

"(1क) जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के किसी आदेश में किसी निर्धारिती के शुद्ध धन की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी या अननुज्ञात की जाती है और उक्त आदेश में उपधारा (1) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ किए जाने के लिए निर्देश अंतर्विष्ट है वहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के ऐसे आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए निर्धारण अधिकारी के समाधान का गठन करता है ।"।

59. धन-कर अधिनियम की धारा 18ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 18खक का अंतःस्थापन ।

"18खक. (1) कोई व्यक्ति शास्ति से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि,—

शास्ति से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति ।

(क) उसने धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 22जक के अधीन उपशमन हो गया है ;

(ख) इस धारा के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् धन-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपने शुद्ध धन और उस रीति का, जिसमें ऐसा शुद्ध धन व्युत्पन्न किया गया है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान धन-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था और मिथ्या साक्ष्य दिया था तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी हो जाएगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दायी होता यदि ऐसी उन्मुक्ति प्रदान न की गई होती ।"।

60. धन-कर अधिनियम की धारा 35छ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 35छक का अंतःस्थापन ।

"35छक. (1) कोई व्यक्ति अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि उसने धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 22जक के अधीन उपशमन हो गया है। अभियोजन से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् अभियोजन कार्यवाहियों के संस्थापन के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् धन-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपने शुद्ध धन और उस रीति का, जिसमें ऐसा शुद्ध धन व्युत्पन्न किया गया है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है :

परंतु जहां धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा ।

1860 का 45

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् कार्यवाहियों के दौरान धन-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया जा सकेगा, जिसके बारे में वह किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में दोषी रहा प्रतीत होता हो ।"।

61. धन-कर अधिनियम की धारा 41 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 42 का अंतःस्थापन।

"42. जहां कोई निर्धारिती निर्धारण या पुनःनिर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही या जांच में उपसंजात हो गया है या सहयोग कर रहा है वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना, जिसकी उस पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार समय के भीतर उस पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है और ऐसा निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में ऐसी कोई आपत्ति करने से प्रवारित होगा कि सूचना— कतिपय परिस्थितियों में सूचना का विधिमान्य समझा जाना।

(क) उस पर तामील नहीं की गई थी ; या

(ख) उस पर समय के भीतर तामील नहीं की गई थी ; या

(ग) उस पर अनुचित तरीके से तामील की गई थी ।"।

62. धन-कर अधिनियम की धारा 42घ को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1975 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— धारा 42घ का संशोधन।

"(2) जहां कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां धारा 37ख के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को परिदत्त कर दी गई हैं वहां उपधारा (1) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां, जिन्हें धारा 37ख की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से अभिरक्षा में लिया गया था, धारा 37क के अधीन किसी तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई थीं।"।